

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 36/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002
रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, शाखा कार्यालय श्री अमर हाईटस, सेकिण्ड फ्लोर,
यूनिट नम्बर 203, प्लाट नम्बर 10, निर्माण नगर ई, अजमेर रोड, जयपुर प्राधिकृत अधिकारी
कृष्ण कुमार शर्मा

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. शंकर लाल

पता—(1) राम तलाई आबादी, ग्राम सूडियावास वाया जोबनेर, तहसील किशनगढ़, जयपुर
पता—(2) उदय नगर कालोनी, चुरु रेल्वे लाईन के मध्य, सीकर
पता—(3) प्लाट नम्बर 7, उदयनगर कालोनी, खसरा नम्बर 2343/902, चुरु लुहारु रेल्वे
लाईन, सीकर

2. संजना देवी पत्नी शंकरलाल

पता—(1) उदय नगर कालोनी, चुरु रेल्वे लाईन के मध्य, सीकर
पता—(2) प्लाट नम्बर 7, उदयनगर कालोनी, खसरा नम्बर 2343/902, चुरु लुहारु रेल्वे
लाईन, सीकर

—अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 11.11.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सैनी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः शंकर लाल एवं संजना देवी पत्नी शंकरलाल की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी संजना देवी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लाट नम्बर 7, उदयनगर कालोनी, खसरा नम्बर 2343/902, चुरु लुहारु रेल्वे लाईन, सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 106.81 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रास्ता 30 फिट चौड़ा, पश्चिम दिशा में प्लॉट दिगर, उत्तर दिशा में प्लॉट सं. 08 एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट सं. 06 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 8,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये आठ लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के



अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **16.12.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **16.12.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **शंकर लाल एवं संजना देवी पत्नी शंकरलाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **संजना देवी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **प्लॉट नम्बर 7, उदयनगर कालोनी, खसरा नम्बर 2343/902, चुरु लुहारू रेल्वे लाईन, सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 106.81 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रास्ता 30 फिट चौड़ा, पश्चिम दिशा में प्लॉट दिगर, उत्तर दिशा में प्लॉट सं. 08 एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट सं. 06 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **11.11.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर